

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 2 मार्च, 2009

विषय:- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत दोहरे भुगतानों पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-सामू0बीमा0सी.-12108/ निरीक्षण-76/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-एस0ई0-1586/दस-07-बीमा-22/2004 टी.सी.-1 दिनांक 06 सितम्बर, 2007 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 के पश्चात प्रस्तर-5 निम्नवत जोड़ा जाता है:-

“ कोषागार स्तर पर यदि सामूहिक बीमा योजना के दावों के निस्तारण में जी0 पी0एफ0 नंबर से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए कोषागार आहरण वितरण अधिकारी से दावे का पूर्व में भुगतान न होने का प्रमाण पत्र लेकर सुपर-यूजर से इसकी जांच करते हुए उसी प्रकार भुगतान किया जा सकता है जिस प्रकार से जी0पी0एफ0 के बिलों का ट्रेजरी से भुगतान किया जा रहा है।”

3- कृपया शासनादेश संख्या-एस0ई0-1586/दस-07-बीमा-22/2004-टी.सी.-1 दिनांक 06 सितम्बर, 2007 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।


भवदीय,
प्रमुख सचिव
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-एस0ई0-149(1)/दस-09 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- रेजिडेंट कमिश्नर/पे एण्ड एकाउंट्स, आफिस नई दिल्ली।
- 5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 7- निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।
- 8- निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान।
- 9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 10- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पॉच प्रतियों कि महालेखाकार, लेखा तथा महालेखाकार सम्प्रेक्षा को भी उपलब्ध कराया जा सके।
- 11- सचिवालय के वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
- 12- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उत्तर छठवा तल, योजना भवन, लखनऊ।
- 13- अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,



(हरीश चन्द्र मित्रा)

अनु, सचिव।